उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, खण्डपीठ, नैनीताल

उपस्थितः माननीय श्री राजेन्द्र सिंह

.....उपाध्यक्ष (न्यायिक)

याचिका संख्या 152/एन0बी0/एस0बी0/2022

सिपाही जगमोहन सिंह नेगी, आयु 37 वर्ष, पुत्र स्व0 श्री पदम सिंह नेगी, स्थाई निवासी ग्राम कालीमाटी पो0ओ0 मालकोट तहसील गैरसैण जिला चमौली (उत्तराखण्ड) वर्तमान में आई0आर0वी0 प्रथम बैल पड़ाव रामनगर, जिला नैनीताल।

.....याची

बनाम

1. उत्तराखण्ड सरकार प्रमुख सचिव गृह, उत्तराखण्ड शासन सचिवालय, देहरादून।
2. पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
3. सेनानायक, इण्डिया रिर्जव वाहिनी प्रथम बैलपडाव रामनगर (नैनीताल)।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थितिः श्री हरीश अधिकारी, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।
श्री किशोर कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।

निर्णय

दिनांकः अप्रैल 20, 2023

प्रस्तुत याचिका याचीकर्ता द्वारा निम्न अनुतोष हेतु प्रस्तुत की गयी है–

1. अलोच्य दण्ड आदेश दिनांकित 25.01.2021 एवं 20.03.2021 (निर्देश याचिका का संलग्नक 1) तथा अपील प्राधिकारी का अपील आदेश दिनांकित 24.03.2021 (निर्देश याचिका का संलग्नक 2) को अपास्त (Quash) करें और अवैध तथा शून्य घोषित कर विपक्षीगण को निर्देशित करें कि वह याची को दिये गये दण्ड को उसकी चरित्र पंजिका व अन्य अभिलेखों से विलुप्त करें।

2. याची को समस्त परिणामिक सेवालाभ अवमुक्त करते हुये अनुमन्य अन्य सेवालाभ प्रदान करें।

3. अन्य उपचार जो मामले की परिस्थतियों के अनुरूप माननीय अधिकरण उचित समझे।

4. याचिका का खर्च याची को दिलाने हेतु आदेश।

2. संक्षेप में याचिकर्ता का कथन है कि याची 2015 में उत्तराखण्ड पुलिस विभाग में इण्डिया रिर्जव वाहिनी प्रथम बैलपड़ाव रामनगर में सिपाही के पद पर दिनांक 22.10.2005 को भर्ती हुआ तथा सिपाही के रूप में वर्तमान तक कार्यरत रहा है। वर्तमान में इण्डिया रिर्जव वाहिनी प्रथम बैलपडाव रामनगर नैनीताल में तैनात है। याची अपनी भर्ती से पूर्व फुटबाल का अच्छा खिलाड़ी था ने इण्डिया रिजर्व वाहिनी में भी अपने खेल के दम पर वर्ष 2006 से आई.आर.बी. की फुटबाल

टीम में चुना गया एवं उसके खेल प्रतिभा को देखते हुए उसे आज दिनांक तक फुटबाल टीम में एक खिलाडी के रूप में शामिल किया गया है। याची का पूर्व सेवा अभिलेख अति उत्तम है और 2005 से वर्तमान तक 17 वर्षों उत्कृष्ट सेवा पूर्ण कर चुका है। उसे लगातार आलोचय आदेश के वर्ष सहित पिछले 5 वर्षों में उत्कृष्ट (Out standing) एवं अति उत्तम वार्षिक प्रविष्टि प्रदान की गयी है और उसे कभी भी इस प्रकार के किसी कार्य का दोषी नहीं पाया गया है। वर्ष 2020 में जब याची इण्डिया रिर्जव वाहिनी प्रथम बैलपडाव रामनगर में नियुक्त था तो उसे डियूटी हेतु हल्द्वानी भेजा गया है जहां उनको योगा पार्क हल्द्वानी में स्थान दिया गया। दिनांक 26.07.2020 समय लगभग 15.00 बजे जब याची एवं उसका साथ वारू सिंह जो कि एक बालीबाल खिलाडी है व काफी समय से याची को उसके द्वारा खरीदी गयी नई कार के लिए दावत हेतु अनुरोध कर रहा है जिसे याची द्वारा अपनी डियूटी समाप्त होने के बाद स्वीकार किया एवं इसी दौरान जब याची व वारू सिंह बीयर पी रहे थे तो याची ने वारू सिंह से कहा कि आप चिकन ले आये जिसपर वारू सिंह अपनी जगह से उठा तो उसक पैर टेन्ट की रस्सी में फंस गया तो वह चिल्लाया कि ''तूने मुझे धक्का क्यों मारा'' जिस पर याची द्वारा उसके बाताया गया कि उसका पैर रस्सी में फंस गया जिस कारण वह गिर गया उसकी आवाज सुन नजदीक रह रहे अन्य कर्मियों यह सोचकर कि याची एवं वारू सिंह का झगड़ा हो गया है उच्चाधिकारियों को सूचित किया। ऐसा करने का एक कारण यह भी था कि याची द्वारा अन्य लोगो को दावत में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि याची एक खिलाडी है इस कारण उसका लगाव मात्र खिलाडियों से ही था। उक्त घटना के बाद उच्चाधिकारियों द्वारा याची एवं वारू सिंह को मेडिकल परीक्षण हेतु अस्पताल भेजा गया जहां पर डाक्टर द्वारा केवल मदिरापान का सेवन की पुष्टि की न कि नशे में किसी भी प्रकार के अचेतन अवस्था होने की। उक्त के संबंध में अनुशासनिक अधिकारी/विपक्षी संख्या 3 द्वारा जांच हेतु सहायक सेनानायक इण्डिया रिर्जव वाहिनी प्रथम को जांच अधिकारी नियुक्त किया। जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच के दौरान याची व वारू सिंह के बयान के साथ–साथ अन्य कर्मियों के बयान दर्ज किये परन्तु जांच अधिकारी द्वारा याची की अवस्था के बारे में पुष्टि हेतु चिकित्साधिकारी को जाचं का हिस्सा नही बनाया गया एंव मात्र स्वास्थ्य परीक्षण में एल्कोहल की पुष्टि होने को ही आधार बनाते हुए उसको अनुशासनहीनता को दोषी पाया गया एंव अपनी जांच अनुशासनिक अधिकारी को दिनांक 03.10.2020 को प्रेषित की।

3. जांच अधिकारी की जांच आख्या दिनांक 03.10.2020 को आधार बनाते हुये इसके निष्कर्षों के भी विपरीत जाकर कर्तव्य व आचरण के प्रति घोर लापरवाही अनुशासनहीनता, शिथिलता, अकर्मण्यता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक कार्य का आरोप लगाते हुए विपक्षी सं0 03 ने कारण बताओं नोटिस संख्या 32/2020 दिनांक 29.11.2020 याची की वर्ष 2020 की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख अंकित करने का उल्लेख करते हुए दिया। उक्त नोटिस का याची द्वारा उत्तर प्रेषित किया गया एवं यह प्रार्थना की गयी कि याची एवं वारू सिंह द्वारा क्षमा याचना कर

ली गयी और याची की प्रथम गलती है एवं याची के भविष्य को देखते हुए उक्त कारण बताओ नोटिस निरस्त करने की प्रार्थना की गयी। विपक्षी सं0 03 ने कोई स्पष्ट आधार व कारण दिये बगैर ही वर्ष 2021 की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख अंकित करने का आदेश द–24/2020 दिनांक 25 जनवरी, 2021 पारित कर दिया। उक्त आदेश त्रुटिपूण है क्योंकि अनुशासनिक अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस में परिनिन्दा की प्रविष्टि वर्ष 2020 के लिए अंकित करना दर्शाया एवं दण्डादेश में भी वर्ष 2020 ही अंकित जबकि याची की सेवा पुस्तिका में यह परिनिन्दा की प्रविष्टि वर्ष 2021 में दशायीं गयी है अतः परिनिन्दा की प्रविष्टि दर्ज करने की संपूर्ण कार्यवाही ही अवैध है एवं खण्डित किये जाने योग्य है। याची ने उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी सं0 2 के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसको विपक्षी सं0 2 द्वारा अपील के तथ्यों व आधारों पर निष्पक्ष रूप से विचार किये बगैर अवैध रूप से याची द्वारा की गयी अपील को अपील आदेश पत्र संख्या डीआईजी–पीएसी–200 (3)/2021 दिनांकित 24 मार्च, 2021 से निरस्त कर दिया गया। याची ने जानबूझकर कोई लापरवाही या नियम उल्लंघन नही किया है। याची द्वारा पूर्व कर्मठता, सावधानी व ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया है। जिसके लिए उसको उत्कृष्ट एवं अति उत्तम प्रविष्टियां प्रदान की गयी है। उक्त घटना मात्र एक परिस्थतिजनक सूक्ष्म घटनाक्रम होने के कारण क्षमा योग्य था परन्तु अनुशासनिक अधिकारी द्वारा मात्र याची को उसके प्रोन्नति के अवसरों से रोकने के लिए अपनी पद एवं विद्ववता के दायित्व का पालन नही करते हुए उसके परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है जो कि नियमों के विरूद्ध है। इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि उक्त अनुशासनिक अधिकारी द्वारा वर्ष, 2021 में उसको उत्कृष्ट एवं वर्ष 2020 (जिस समय घटना हुयी) अति उत्तम वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि प्रदान की है जिससे यह सिद्ध होता है कि याची का कार्य व्यवहार एवं कर्तव्य निष्ठा उत्कृष्ट कोटि का था एवं मात्र दो सिपाहियों के बीच डूयटी पूर्ण करने के पश्चात् सूक्ष्म पार्टी में हुयी गलतफहमी एवं मामूली कहासुनी को आधार को अत्यधिक बल प्रदान कर दिया गया जिससे याची के भविष्य एवं प्रोन्नति के अवसर समाप्त हो गये हैं। अतः आलोच्य आदेश जो स्वयं ही गलत वर्ष में दर्शाया गया है खण्डित होने योग्य है। इसके अतिरिक्त याची को दिया गया दण्ड अनुपातहीन है क्योकि दण्डाधिकारी द्वारा याची को अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध उत्तराखण्ड अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधि0/कर्म0 की (दण्ड एवं अपील नियमावली– 1991 (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश–2002) के अन्तर्गत सूक्ष्म दण्ड जिसमें फटीक दिये जाने का प्राविधान है दे सकते थे परन्तु आलोच्य आदेश के द्वारा अनुशासनिक अधिकारी महोदय द्वारा उसके भविष्य में प्रोन्नति के अवसर को समाप्त कर दिया गया है जो कि नैसृगिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है अतः माननीय अधिकरण याची को दिये गये परिनिन्दा के दण्ड को खण्डित करने की कृपा करें।

4. विपक्षीगण/ प्रतिवादीगण की और ये याचीकर्ता की याचिका के कथनों का खण्डन करते हुए प्रतिशपथ पत्र संक्षेप में इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि याचीकर्ता द्वारा वर्ष 2020 में

योगा पार्क हल्द्वानी ''ए'' दल पोस्ट में नियुक्त रहकर दिनांक 26.07.20 को शराब का सेवन कर शोर शराबा करने एवं आरक्षी 3216 वारू सिंह के साथ गाली–गलौच व मारपीट कर अनुशासनहीनता प्रदर्शित करने के आरोपों में याची को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये प्रकरण की प्रारम्भिक जांच सहायक सेनानायक श्री अविनाश वर्मा को आदेशित की गयी थी। जांच अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जांच में आरक्षी वारू सिंह के साथ आपस में अपशब्दों का प्रयोग करने एवं लडाई–झगडा कर अनुशासनहीनता प्रदर्शित करने का दोषी पाये जाने पर उक्त दोनों कर्मियों के विरुद्ध उत्तराखण्ड (उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधि0/ कर्म0 की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के अर्न्तगत नियम 14(2) की विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित कर याचीकर्ता एवं आरक्षी वारू सिंह को कार्यालय के पत्र संख्या न–32/ 20 दिनांक 29.11.20 द्वारा परिनिन्दा प्रविष्टि का कारण बताओ नोटिस निर्गत कर उन्हें आरोपों का लिखित स्पष्टीकरण नोटिस की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। याचीकर्ता द्वारा आरोपों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने पर उसके द्वारा गलती को स्वीकारते हुये क्षमा याचना का अनुरोध किया गया। याची द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण में अंकित किये गये तथ्य बलहीन पाये जाने व याची का जवाब सन्तोषजनक नही पाये जाने पर याची के विरुद्ध उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 23 उपधारा 02 के खण्ड ख तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश अधीनस्त श्रेणी के पुलिस अधिकारी कर्म0 की दण्ड (दण्ड एवं अपील 1991) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के नियम 14(2) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही के उपरान्त उपनियम–4 में प्रस्तावित दण्ड परिनिन्दा के दण्ड से याची को दण्डित किया किया।

5. याचीकर्ता द्वारा वर्ष 2020 इण्डिया रिजर्व वाहिनी प्रथम, बैलपडाव, नैनीताल में ए दल पोस्ट पुलिस योगा पार्क हल्द्वानी में नियुक्त रहकर दिनांक 26–7–20 को समय 15.00 बजे शराब का सेवन कर कान्स 3216 बारू सिंह के साथ मार पीट तथा गाली गलौच कर अनुशासनहीनता प्रदर्शित की गयी। मेडिकल परीक्षण में भी शराब का सेवन किये जाने की पुष्टि हुयी, जिस पर आदेश संख्याः न– 32/2020 दिनांक 27–7–2020 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया। तथा आरोपो के संबंध में प्रचलित प्रारम्भिक जांच करायी गयी। जांच में दोषी पाये जाने पर आदेश संख्या द–24/ 2020 दिनांक 25.01.2021 के द्वारा परिनिन्दा लेख से दण्डित किया किया गया। इसके अतिरिक्त यह कहना है कि याची द्वारा उपरोक्त प्रस्तर में किये गये कथन विधि एवं तथ्यों के विपरित है इसलिए याची द्वारा प्रस्तुत याचिका किसी भी प्रकार से सुनवाई हेतु अंगीकृत किये जाने योग्य नहीं है तथा याची याचिका में किये गये कथनों के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है और याची की याचिका सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

6. मैंने याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तरदाता की ओर से सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

7. याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि याची जगमोहन सिंह नेगी एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है एवं समय–समय पर आई0आर0वी एवं उत्तराखण्ड पुलिस का प्रतिनिधित्व करता चला आ रहा है और भर्ती काल से वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां उत्कृष्ट रही हैं, केवल वर्ष 2021 में याची को दिनांक 26.07.2020 को समय लगभग 15.00 बजे घटित हुई घटना के संबंध में परिनिन्दा प्रविष्टि से दण्डित किया गया है जो याचीकर्ता एवं अन्य कान्स0 वारूसिंह के मध्य ड्यूटी के बाद कार की दावत पर बीयर सेवन करने पर जब कान्स0 वारूसिंह चिकन लेने अपनी जगह से उठा तो उसका पैर टेंट की रस्सी में फंस गया तो वह याची पर चिल्लाया तूने मुझे धक्का क्यों मारा जिस पर आपसी कहासुनी हो गयी ओर आपसी गलतफहमी के कारण उच्च अधिकारीगण द्वारा याचीकर्ता के पक्ष को जाने बिना एवं प्रारम्भिक जांच गठित करते हुए जांच अधिकारी द्वारा भी याची के तर्को को नजरअंदाज किया गया तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर ही याची को परिनिन्दा लेख से उत्तरदातागण 2 व 3 द्वारा दण्डित किया गया जबकि कान्स0 वारूसिंह व याचीकर्ता के मध्य कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था और बाद में आपस में समझौता हो गया था जिसके बावजूद याचीकर्ता को परिनिन्दा प्रविष्टि से दण्डित किया गया है, जिससे याचीकर्ता के भविष्य में प्रौन्नती आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः उत्तरदाता 2 व 3 द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 25.1.2021 एवं दिनांक 20.3.2021 तथा अपील प्राधिकारी का अपील आदेश दिनांकित 24.3.2021 को अपास्त एवं शून्य घोषित कर परिनिन्दा दण्ड प्रविष्टि को याची की चरित्र पंजिका एवं अन्य अभिलेखों से विलुप्त करने हेतु उत्तरदाता सं0 3 को निर्देशित किया जावे।

8. जब उत्तरदाता गण की ओर से सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा याचीकार्त के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए कहा कि याचीकर्ता व एक अन्य आरक्षी वारूसिंह द्वारा दिनांक 26.07.2020 को टेन्ट परिसर में शराब का सेवन कर आपस में लड़ाई झगड़ा एवं गाली गलौच कर गम्भीर अनुशासनहीनता की गयी जो प्रारम्भिक जांच में जांच अधिकारी श्री अविनाश वर्मा सहायक सेनानायक आई0आर0वी0 प्रथम बैल पड़ाव रामनगर द्वारा अपनी जांच में दोनो आरक्षियों का लड़ाई, झगड़ा व मारपीट होना एंव शराब का सेवन करने की पुष्टि गवाहन द्वारा अपने बयानात में की गई होना पाया गया। प्रारिम्भक जांच के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा याची को कारण बताओ नोटिस संलग्नक 4 दिया गया, जिसके जवाब में याचीकार्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया कि ‘‘**मुझ आरक्षी 3214 जगमोहन नेगी का दिनांक 26.07.2020 को दल में मौजुदा आरक्षी 3216 वारूसिंह के साथ आपसी गलतफहमी होने के कारण धक्का मुक्की हो गयी, महोदय हम दोनों आरक्षियों द्वारा आपस में क्षमा याचना मांग ली गयी है, महोदय प्रार्थी की प्रथम गलती है। प्रार्थी के भविष्य को देखते हुए क्षमा करने की कृपा करें, व भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति नहीं होगी।**’’ जो पत्रावली पर संलग्नक 5 है ऐसी स्थिति में याचीकर्ता को दिये गये लघु दण्ड में कोई ऐसी अवैधानिकाता तथा अनियमितता नहीं है। उत्तरदाता संख्या 3 की ओर से पारित आदेश दिनांक 25.1.2021 एवं 20.03.2021 के विरूद्ध की गई अपील में

उपरोक्त आदेश को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 24.03.2021 को पुष्ट किया गया जिसमें कोई भी वैधानिक त्रुटि नही है अतः याचीकार्ता की याचिका निरस्त की जावे।

9. पत्रावली पर इस स्तर पर उपलब्ध साक्ष्य एवं उक्त चर्चित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि याचीकर्ता जगमोहन सिंह नेगी याचीकर्ता ए दल आई आर वी प्रथम को यह स्वीकार है कि दिनांक 26.7.2020 से अपनी ड्यूटी रेस्ट के दौरान उससे पूर्व याचीकर्ता द्वारा खरीदी गयी नई कार के उपलक्ष्य की खुशी में अन्य आरक्षी बारूसिंह को चिकन एंव बीयर पार्टी दी गयी थी।

10. अब जहां तक याचीकर्ता एंव आरक्षी वारूसिंह के मध्य लड़ाई झगडा गाली गलौच होने का प्रश्न है के संबंध में अपने प्रारम्भिक साक्ष्य के दौरान तो कान्स0 बारूसिंह एवं कान्स0 जगमोहन सिंह द्वारा लड़ाई झगड़ा होने से इन्कार किया गया है लेकिन बाद में साक्ष्य के दौरान पुनः यह भी स्वीकार किया गया कि दिनांक 26.7.2020 को हम दोनो के बीच Miss understanding के कारण विवाद हो गया था तथा कान्स0 वारूसिंह द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी स्वीकार किया गया कि मैं कान्स0 जगमोहन के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही नही चाहता हूं। हम दोनों में अब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नही होगी जब कि दौरान जाचं, जांच अधिकारी द्वारा पीसीवी 3077 दीवानी राम ए दल के बयान अंकित किये गये और जिसमें उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि ‘‘**दिनांक 26.07.2020 को समय लगभग 1455 बजे में अपने टैन्ट में मोजूद था। कैम्प परिसर के मुख्य गेट से शोर शराबे की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने टैन्ट से बाहर आकर देखा तो कान्स0 3214 जगमोहन नेगी व कान्स0 वारूसिंह आपस में झगड़ा व अभद्र व्यवहार कर रहे थे। दोनों आरक्षी शराब के नशे में प्रतीत हो रहे थे। जिसकी सूचना मेरे द्वारा दलनायक महोदय को उनके टैन्ट जाकर दी। जिसके तुरन्त बाद दलनायक महोदय के साथ मैं स्वंय व एरिया कमाण्डर कान्स0 3007 कुष्ण कुमार, कान्स0 3220 बचन सिंह व कान्स0 3630 राजेन्द्र चौहान सहित मुख्य गेट पर जहां आरक्षी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, व गाली गलौच व अभद्र व्यवहार कर रहे है। दोनों हाथों में पत्थर लेकर दूसरे को मारने के लिये आमदा थे। जिसके फलस्वरूप हम सभी के द्वारा दोनों आरक्षियों को अलग–अलग किया गया । इसके बाद दोनों आरक्षी शराब के नशे में प्रतीत होने के कारण दलनायक महोदय के आदेशानुसार दोनों आरक्षियों को मेडिकल कराने हेतु मेडिकल गार्द में जाने के लिए पीसी श्री राजेन्द्र प्रसाद के हमराह कान्स0 3869 आदेश कुमार व कान्स0 3649 प्रकाश मेहरा, कान्स0 3454 प्रवेश तोमर व कान्स0 3257 अक्षय कुमार व वाहन के लिए आरक्षी चालक राधेश्याम गिरी वाहन संख्या यूए 04 ई 3573 को सूचित किया गया। जिसके उपरान्त मेडिकल गार्द द्वारा दोनो आरक्षियों का बेस अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया।**’’

11. उक्त गवाह के उपरोक्त बयानात की पुष्टि अन्य गवाह कान्स0 3630 राजेन्द्र चौहान ए दल आई.आर.वी. प्रथम, कान्स 3220 बचन सिंह द्वारा भी की गई है तथा आरक्षी बारूसिंह एवं

जगमोहन सिंह दोनो ही आरक्षियों को मेडिकल परीक्षण हेतु दल नायक श्री जनक पवांर ए दल आई.आर.वी. प्रथम के द्वारा राजकीय वाहन से बेस अस्पताल रवाना किया गया, जहां दोनो आरक्षियों का मेडिकल परीक्षण किया जाना कहा गया तथा आरक्षी वारूसिंह का स्वास्थ्य अधिक खराब होने की सूचना टेलीफोन पर मिलने पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा एसटीएच रैफर किया जाना कहा गया जैसा कि दल नायक, जनक पवांर द्वारा अपने साक्ष्य के दौरान जांच अधिकरी को अपने बयानात में कहा कि ''**दिनांक 26.07.2020 को समय लगभग 15:20 बजे में कैम्प में अपने टैन्ट के अन्दर बैठा था तभी कैम्प परिसर में मुख्य गेट की ओर से गॉली गलौच और शोर शराबा की आवाज सुनकर जब में टैन्ट से बाहर आया तो टैन्ट के बाहर ए दल मेजर पीसीबी 3071 दीवानी राम खड़े थे, मेजर से शोर शरावा का कारण पूछा तो मेजर ने देखते हुए बताया कि कान्स0 3214 जगमोहन सिंह व कान्स० 3216 बारू सिंह आपस में झगडा कर रहे हैं व एक दूसरे को मारने पर उतारू हो रहे हैं। मैंने उसी समय मेजर को साथ लेकर मुख्य गेट के पास जाकर देखा तो पाया कि उक्त दोनों कान्स० आपस गाली गलौच कर रहे थे जिन्होंने हाथों से पत्थर उठाये थे व एक दूसरे को मारने की धमकी दे रहे थे। दोनों कान्स० शराब के नशे में प्रतीत हो रहे थे। मेरे द्वारा दल मेजर पीसीवी 3007 कृष्ण कुमार, कान्स 3220 बचन सिंह, कान्स० 3630 राजेन्द्र चौहान जो मेरे साथ शोर शराबे की आवाज सुनकर मुख्य गेट के पास आये थे। इन सभी की मदद उक्त दोनो आरक्षियों को डाट–फटकार कर शान्त किया व अलग–अलग किया गया। दोनों आरक्षियों को देखा तो कान्स0 3216 बारू सिंह की बायीं आंख के नीचे चोट का निशान हुआ था उक्त दोनों आरक्षियों द्वारा शराब पीकर उदण्डता किये जाने के कारण मेरे द्वारा पीसी श्री राजेन्द्र प्रसाद के हमराह मेडिकल गार्द नियुक्त कर दोनों आरक्षियों का मेडिकल परीक्षण कराने हेतु मय राजकीय वाहन के बेस अस्पताल को रवाना किया गया। जहाँ उक्त दोनों आरक्षियों का मेडिकल परीक्षण किया गया। मेडिकल परीक्षण के दौरान पीसी श्री राजेन्द्र प्रसाद फोन द्वारा बताया कि चोट के कारण कान्स0 3216 वारू सिंह का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब हो रहा है तथा चिकित्साधिकारी द्वारा एसटीएच रैफर किया गया है। मेरे द्वारा पीसी को तुरन्त एसटीएच में ले जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा मैं स्वयं भी उक्त आरक्षी की हालत देखने एसटीएच को रवाना हुआ। जहाँ उपचार के दौरान कान्स० 3216 वारू सिंह की एक्स–रे व सिटी स्कैन की जांच की गयी की गयी। एक्स–रे में चिकित्सक द्वारा आँख की बायीं तरफ हल्की चोट का होना बताया गया, परन्तु सिटी स्कैन में आरक्षी की रिपोर्ट सामान्य आयी। अतः बाद उपचार लगभग 02 घण्टे बाद कान्स0 3210 बारू सिंह के सामान्य होने पर उक्त कान्स० को लेकर कैम्प वापस आये। उक्त प्रकरण की मौखिक जानकारी मेरे द्वारा, उच्चाधिकारियों को फोन द्वारा दी गयी थी. लिखित सूचना कोतवाली हल्द्वानी में दिनांक 26.07.2020 की रात्रि में दी गई। दिनांक 27.07.2020 को लिखित रिपोर्ट मेरे द्वारा सेनानायक महोदय को प्रेषित की गई''।**

12. उपरोक्त गवाहन के उक्त बयानात की पुष्टि अन्य गवाह पीसी राजेन्द्र प्रसाद, पीसीवी 3007 कृष्ण कुमार, धमेन्द्र सिंह बिष्ट,आदेश कुमार,प्रकाश मेहरा, प्रवेश तोमर, अक्षय कुमार, कान्स चालक राधेश्याम गिरी, मनोज कुमार द्वारा भी की गई है।

13. अतः उपरोक्त गवाहन के बयानात एवं जांच अधिकारी के जांच रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी सं0 3 द्वारा याचीकर्ता को दिये गये कारण बताओ नोटिस के विरूद्ध याचीकर्ता द्वारा दिये गये जबाब में यह स्वीकार करना कि ''**मुझ आरक्षी 3214 जगमोहन नेगी का दिनांक 26.07.2020 को दल में मौजुदा आरक्षी 3216 बारूसिंह के साथ आपसी गलतफहमी होने के कारण धक्का मुक्की हो गयी, महोदय हम दोनों आरक्षियों द्वारा आपस में क्षमा याचना मांग ली गयी है, महोदय प्रार्थी की प्रथम गलती है, प्रार्थी के भविष्य को देखते हुए क्षमा करने की कृपा करें व भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति नहीं होगी।**'' से यह स्पष्ट है कि याचीकर्ता व अन्य याची वारूसिंह के मध्य शराब/बीयर का सेवन करके आपस में लड़ाई झगड़ा गाली गलौच टैन्ट परिसर आईआरवी में की गई जिसमें आरक्षी वारूसिंह को चोटें आई जिसका मेडिकल परीक्षण किया गया। ऐसी स्थिति में निःसंदेह याचीकर्ता द्वारा शराब का सेवन कर आरक्षी वारूसिंह के साथ मारपीट गाली गलौच व उदण्डता एवं अनुशासनहीता प्रदर्शित की गयी, जिसके आधार पर विपक्षी सं0 3 द्वारा याचीकर्ता को परिनिन्दा लेख से दण्डित करने में कोई त्रुटि अथवा अवैधानिकता नही की गई है, जबकि पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 373 (ए) में यह प्राविधानित किया गया है कि ''पुलिस फोर्स के सदस्यों, को अपने कर्तव्यानुपालन के दौरान जब समुचित आशा की जाती हो कि वे कार्य करने के लिये बुलाये जा सकते है, नशीले पदार्थों का सेवन करना सख्त मना है। उन्हें कड़ी चेतावनी दी जाती है कि इसका उल्लंघन या थोडी भी अवहेलना उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का कारण होगा जिसमें संबंधित अधिकारी की सेवामुक्ति भी सम्मिलित है।''

14. अतः याचीकर्ता की याचिका बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

याचीकर्ता की याचिका निरस्त की जाती है। मामले की परिस्थतियों को देखते हुए पक्षकार वाद व्यय अपना–अपना स्वयं वहन करेंगे।

दिनांकः 20.04.2023
देहरादून।

(राजेन्द्र सिंह)
उपाध्यक्ष (न्यायिक)